न्यायालयश्री मान राजस्व मण्डल ग्वालियर म०प्र०
===

R-3503-III/13

रामरतन तनय मौन लाल यादव आयु वर्ष
नि० ग्राम देवेंपुर तहसील खरगापुर जिला-
टीकमगढ़ म०प्र० ------- निगराकार

बनाम

1- कुटटू तनय लल्लू यादव निवासी ग्राम
देवेंपुर तहसील खरगापुर जिला टीकमगढ़
2- शासन म०प्र० ----- प्रतिनिगराकार गण

आवेदन अन्तर्गत धारा 50 म०प्र०भू राजस्व संहिता 1959
===
निगरानी प्रतिकूल नायब तहसीलदार महोदय खरगापुर के
राजस्व प्र०क्र० 89/अ-19(4)/1994-95 आदेश दिनांक
12.9.95 के विरुद्ध ।
===

महोदयजी,

निगरानी का संक्षिप्त सार निम्न प्रकारहै:=

यह कि खसरा क्रमांक 579 पर निगराकार का पुस्तैनी कब्जा है जिस पर कृषि काय करता चला आ रहा एंव भूमि को काबिल काश्त बनाने में भारी परिश्रम भी कियाहै । जिसका विशेष उपबंध अधिनियम 1984 के तहत प्रतिनिगराकार द्वारा अपने नाम पट्टा बनवा लिया है परन्तु न प्रतिनिगराकार काकभी भी कब्जा नहीं रहा और ना,ही अभी मौके पर कब्जा है। प्रतिनिगराकार द्वारा सीमांकन कराने के दौरान पटटे के संबंध में जानकारी हुईजिस कारण से यह निगरानी प्रस्तुत करने की आवश्यकता उत्पन्न हुइ ।

निगरानी के प्रमुख तथ्य निम्न प्रकार है :-
================

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक R 3503-III/13 जिला टीकमगढ

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9–3–2016	१] यह निगरानी प्र क्र ३५०३/तीन/१३ रा मं में तहसीलदार, खरगापुर के प्र क्र ८९/अ१९(४)/९४-९५ में पारित आदेश दि १२-९-९५ के विरुद्ध प्रस्तुत है. २] मैंने आवेदक अधिवक्ता के ग्राह्यता को तर्क का अवसर दिया, उन्होने अभिलेख के आधार पर निर्णय हेतु निवेदन किया. ३] मैंने नस्ती का परिशीलन किया. आवेदक ने ना तह के आदेश दि १२-९-९५ के विरुद्ध यह निगरानी रा मं में वर्ष २०१३ में यह लिखते हुए प्रस्तुत की है कि जो भूमि वर्ष १९९५ में अनावेदक को पट्टे पर दी गई है उसपर अनावेदक का कब्ज़ा नहीं रहा है, आवेदक का कब्ज़ा है. आवेदक को अनावेदक को पट्टा मिले होने की जानकारी वर्ष २०१३ में मिली जिसके बाद उसने रा मं में यह निगरानी प्रस्तुत की. ४] मैंने आवेदक अधिवक्ता को उसके (आवेदक के) कब्ज़े आदि के सम्बन्ध में इस न्यायालय के प्रथमदृष्टया समाधान हेतु यदि कोई अभिलेख हों, तो प्रतियाँ प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिए, किन्तु उनके द्वारा ऐसा कुछ भी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिससे इस आवेदन को ग्राह्य करने पर विचार किया जा सके. साथ ही, मेरे समक्ष ऐसा कोई आधार आवेदक द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है जससे कि मैं अनावेदक को मिले पट्टे को प्रथमदृष्टया गलत मानूं. वैसे भी आवेदक ने अ९९५ के आदेश के विरुद्ध १८ वर्ष बाद यह निगरानी आवेदन प्रस्तुत किया है, और इतने लम्बे विलम्ब के कोई ऐसे ठोस कारण प्रस्तुत नहीं किये हैं जिनसे उसे माफ़ करने पर विचार किया जा सके. ऐसे में मेरा मत है कि यदि इस निगरानी आवेदन को ग्राह्य किया जाता है तो अनावश्यक न्यायिक वाद बढ़ने और अनावेदक को न्यायालयीन वाद का सामना अनावश्यक तौर पर करने की स्थिति उत्पन्न होगी.	

ऐसे में यह प्रकरण अग्राह्य कर रा मं से समाप्त किया जाता है.

आदेश पारित.

पक्षकार एवं तहसीलदार, सूचित हों.

प्रकरण समाप्त.

दा द हो.

(आशीष श्रीवास्तव)

सदस्य